न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक टिब्बी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 031 / 2021

सर्वजीत कौर पत्नी जोगिन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

– – प्रार्थी

बनाम

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगन सिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुनीता रानी पत्नी दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. उपपंजीयक टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री अनिल कुमार सिडाना अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री विक्रम यादव अधिवक्ता — अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री यादवेन्द्र सेखो — अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांक :– 13.05.2024

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर अप्रार्थीया के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि तहसील टिब्बी के चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 60 / 98 पत्थर नम्बर 223 / 205(32) किला नम्बर 25 सालम, पत्थर नम्बर 223 / 206(41) किला नम्बर 1 ता 9 प्रत्येक सालम पत्थर नम्बर 224 / 206(42) किला नम्बर 10 ता 12 प्रत्येक सालम, कुल तादादी 3.289 हैक्टर में से 4 / 13 हिस्सा की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। डिजीटल हस्ताक्षरित जमाबंदी संलग्न प्रार्थनापत्र है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 ने मिन प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 01.0[illegible]2021 को 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 60 / 98 मे से अपने हिस्सा क[illegible] हैक्टर कृषि भूमि का दानपत्र निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया [illegible] स्वीकार किया गया है व कब्जा कृषि भूमि का दानपत्र के [illegible] प्रार्थीया का चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 अब अन्य लोगों के बहकावे [illegible] गया है एवं उपरोक्त [illegible] भूमि मे से 0.784 हैक्टर का बेयनामा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे बिना प्रतिफल [illegible] दिनांक 26.03.2021 को मिन प्रार्थीया को क्षतिकारित करने के आशय से करवाया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त बेयनामा करवाने की कोई अधिकारिता नहीं थी अब अप्रार्थी संख्या 1 शेष कृषि भूमि को बढ़े हुए भावों पर बेचने व कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं अन्य तरीका से अन्तरित करने पर उतारू है एवं प्रार्थीया को कृषि भूमि से वंचित करने पर उतारू है। अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 अपने उक्त गलत उद्देश्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

मे सफल हो गया तो प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त भूमि से वंचित होना पड़ेगा तथा अन्य मुकदमाबाजी मे उलझना पडेगा।

प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है। अप्रार्थीगण गलत प्रविष्टी के आधार पर कृषि भूमि को बेचने में सफल हो गया तो मिन प्रार्थीया को बिना किसी कारण के अन्य मुकदमाबाजी मे उलझना पडेगा। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण शाश्वत् व्यादेश की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्य तरीका से अन्तरित करने से निषिद्ध रहे व प्रार्थीया के कब्जाकाश्त मे दखलअदाजी करने से निषिद्ध रहे। रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

आज से एक सप्ताह पूर्व प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से यह निवेदन किया कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित 1. 012 हैक्टर कृषि भूमि जिसका दानपत्र मिन प्रार्थीया के पक्ष मे निषपादित एवं पंजीकृत करवाया है, को प्रार्थीया के नाम राजस्व अभिलेख मे अकित करवा देवे एवं उक्त कृषि भूमि को अन्य दिगर व्यक्तियों को रहन, बैय एवं अन्तरित नही करे व मिन प्रार्थीया के कब्जाकाश्त मे दखलअदाजी न करे। रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गये।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है, अगर अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 अपने उक्त गलत कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थीया को अपरिमेय क्षति होगी एवं प्रार्थीया अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो जावेगा ।

प्रार्थना प्रार्थीया माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण न्यायशुल्क पर अन्दरमियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 60 / 98 पत्थर नम्बर 223 / 205(32) किला नम्बर 25 सालम, पत्थर नम्बर 223 / 206(41) किला नम्बर 1 ता 9 प्रत्येक सालम, पत्थर नम्बर 224 / 206(42) किला नम्बर 10 ता 12 प्रत्येक सालम, कुल तादादी 3.289 हैक्टर में से 4 / 13 हिस्सा अर्थात 1.012 हैक्टर कृषि भूमि को रहन, बैय एव अन्य तरीका से अन्तरित करने एवं इस कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का भार सृजित करने एव प्रार्थीया के कब्जाकाश्त एव धारण मे हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे । रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन [illegible] संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया [illegible] नम्बर 2 एस.बी.एन. खाता संख्या 60 / 98 मे अप्रार्थी संख्या [illegible] किसी प्रकार रहन बैय व मुन्तकिल से निषेध रहे एवं [illegible] यथा स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 स्वीकार है चरण संख्या 3 मे प्रार्थीया का यह अभिकथन कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया के पक्ष मे दिनांक 01.02.2021 को चक नम्बर 2 एस.बी.एन. जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78

के खाता संख्या 60 / 98 मे से अपने हिस्सा की 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का दान पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया है एवं कब्जा कृषि भूमि का दान पत्र के दिवस से प्रार्थीया का चला आ रहा है, स्वीकार है। अन्य सभी अभिकथनों से इन्कारी है इस संबंध मे निवेदन है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे से अपने हिस्सा की 1.012 हैक्टर आराजी मे से 0.784 हैक्टर का बैयनामा अप्रार्थीया संख्या 2 के पक्ष में कभी नहीं करवाया है उपरोक्त दस्तावेज अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा फर्जी एवं कूटरचित रूप से तैयार किया गया है।

अप्रार्थीया संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 न्यायालय में वाद कतई गलत तथ्यों के साथ पेश किया है जिसमें कामयाबी की कोई आशा नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 के यह तथ्य कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 2 एस.बी.एन. के खाता संख्या 60 / 98 मे कुल 3.289 हैक्टर मे से जोगेन्द्रसिंह का 4 / 13 हिस्सा, जोगेन्द्रसिंह द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 685 प्रक्रियाधीन है जोगेन्द्रसिंह का उक्त आराजी में जरिये पंजीबद्ध होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, सही नहीं है। प्रार्थीया द्वारा यह तथ्य कि दिनांक 01.02.2021 को खाता संख्या 60 / 98 की प्रश्नगत आराजी 1.012 हैक्टर दान पत्र निष्पादित होना दर्शाया है, ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही है लेकिन प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1, पति–पत्नी है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के आपस में मिली भगत कर एक नुमाईशी दान पत्र दिनांक 01.02.2021 बिना प्रतिफल के निष्पादित करवाया हुआ है क्योकि दान–पत्र में प्रश्नगत आराजी का कब्जा प्रार्थीया का नही है व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्राथीया को कब्जा सुपुर्द नही किया गया जिससे दान पत्र विधिक दस्तावेज नही है। मुझ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 26.03.2021 को प्रश्नगत आराजी जोगेन्द्रसिंह के 4 / 13 हिस्सा में से 0.784 हैक्टर कृषि भूमि का बैयनामा बएवज मुबलिंग 8,75,000 रुपये मे खरीद की, पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 26.03.2021 अप्रार्थी संख्या 1 जोगेन्द्रसिंह द्वारा बैयनामा मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त भूमि को आज से पहले किसी अन्य व्यक्ति आदि को बेय व रहन, हस्तान्तरित नही किया है। बैयनामा के रोज से उक्त आराजी का मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा व आधिपत्य मे है जिसका मुताबिक बैयनामा अप्रार्थी संख्या 2 प्रश्नगत आराजी की खातेदार काश्तकार है व बैयनामा नामान्तकरण भी जमाबन्दी मे अंकन हो चुका है। प्रार्थीया द्वारा न्यायालय को गुमालता मे रखकर अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4(10) के तथ्य कतई गलत अंकित किये है स्वीकार नही क्योकि प्रश्नगत आराजी मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है।

प्रर्थना पत्र की चरण संख्या 5(11) के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया मुताबिक दान पत्र कोई अधिकार प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीया ने आपस मे मिलीभगत कर एक नुमाईशी दान–पत्र करवा लिया जिसका नामान्तकरण भी दर्ज नहीं हुआ था मुझ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड देखकर वाद सहित होने के कारण सप्रतिफल उक्त आराजी खरीद की है।

प्रार्थना पत्र की दफा 6(4) के यह तथ्य कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है क्योंकि प्रश्नगत आराजी मुझ अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा सप्रतिफल खरीद की है। प्रार्थीया किसी भी तरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

अपरिमेय क्षति नही हो रही है मुझ अप्राथी संख्या 2 द्वारा सप्रतिफल आराजी खरीद होने के कारण एकल स्वामी है। प्रार्थना पत्र की चरणसंख्या 7(5) कानूनी है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी मे से 0.784 हैक्टर की हद तक एक पक्षीय स्थगन आदेश निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थीया किसी भी तरह से स्थगन आदेश प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है।

अधिवक्ता उभयपक्ष आने पर दिनांक 02.02.2024 को बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने मिन प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 01.02.2021 को 2 एस.बी.एन. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 60/98 में से अपने हिस्सा की 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का दानपत्र निष्पादित एव पजीकृत करवाया है जिसे मिन प्रार्थीया द्वारा स्वीकार किया गया है व कब्जा कृषि भूमि का दानपत्र के दिवस से मिन प्रार्थीया का चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 अब अन्य लोगो के बहकावे में आ गया है. एवं उपरोक्त कृषि भूमि में से 0.784 हैक्टर का बैयनामा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे बिना प्रतिफल के दिनांक 26.03.2021 को मिन प्रार्थीया को क्षतिकारित करने के आश्य से करवाया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज विवादित आराजी पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 01.02.2021 को चक नम्बर 2 एस.बी.एन. के खाता संख्या 60/98 मे से अपने हिस्सा की 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का दान पत्र निष्पादित एव पजीकृत करवाया है, एव कब्जा कृषि भूमि का दान पत्र के दिवस से प्रार्थीया का चला आ रहा है. मिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे से अपने हिस्सा की 1.012 हैक्टर आराजी में से 0.784 हैक्टर का बैयनामा अप्रार्थीया संख्या 2 के पक्ष मे कभी नही करवाया है उपरोक्त दस्तावेज अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा फर्जी एव कूटरचित रूप से तैयार किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 01.02.2021 को खाता संख्या 60/98 की प्रश्नगत आराजी 1.012 हैक्टर दान पत्र निष्पादित होना दर्शाया है, लेकिन प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1, पति-पत्नी है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के आपस में मिली भगत कर एक नुमाईशी दान पत्र दिनांक 01.02.2021 बिना प्रतिफल के निष्पादित करवाया हुआ है क्योकि दान-पत्र मे प्रश्नगत आराजी का कब्जा प्रार्थीया का नही है व अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा प्राथीया को कब्जा सुपुर्द नही किया गया जिससे दान पत्र विधिक दस्तावेज नही है। मुझ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 से दिनांक 26.03.2021 को प्रश्नगत आराजी [illegible] मे से 0.784 हैक्टर कृषि भूमि का बैयनामा बएवज मुबलिग 8,75,000 रूपये [illegible] खरीद की, पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 26.03.2021 अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त भूमि को [illegible] व्यक्ति आदि को बैय व रहन हस्तान्तरित नही किया है। बैयनामा के रोज से [illegible] आराजी का मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा व आधिपत्य में है जिसका मुताबिक बैयनामा अप्रार्थी संख्या 2 प्रश्नगत आराजी की खातेदार काश्तकार है व बैयनामा नामान्तकरण भी जमाबन्दी में अंकन हो चुका है। प्रार्थीया द्वारा न्यायालय को मुगालता में रखकर अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible]

अतः विवादित आराजी का अप्रार्थी खातेदार है, जिस पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अप्रार्थी जोगेन्द्र ने चक नम्बर 2 एस.बी.एन. के खाता संख्या 60/98 में अपने हिस्सा की 1.012 हैक्टर आराजी का दिनांक 01.02.2021 को अपनी पत्नी प्रार्थीया सर्वजीत कौर के पक्ष में जरिये पंजीकृत दानपत्र करवाया है लेकिन उसके पश्चात अप्रार्थी जोगेन्द्र सिंह ने उपरोक्त वर्णित आराजी में से दिनांक 26.03.2021 को 0.784 हैक्टर आराजी जरिये पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थीया संख्या 2 सुनीतारानी को बेचान किया है।

चूंकि प्रार्थीया का मामला पंजीकृत दस्तावेज दानपत्र और बैयनामा की वैद्यता से संबंधित है जो इस न्यायालय से तय नही होकर सिविल न्ययालय से तय होना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोरी की जा सकती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 196/2021 अनवान सर्वजीतकौर बनाम जोगेन्द्रसिंह आदि के सलंग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested